

भारतीय पैनोरामा 2017
घोषणापत्र 7.2(c)

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ की—

7.2(c) (i) आवेदक को एक घोषणापत्र जमा करना होगा, जिसमें सत्यापित किया गया हो की प्रविष्टि प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्रों में दी गई सूचना/जानकारी उसकी समझ से सत्य है, फ़ीचर फ़िल्म की 35 मिमी प्रिंट/डीसीपी (अनक्रिपटिड, डीसीआई कम्पलाईन्ट, -जे2के इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी—नोट: जे2के इनटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस) /ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) और गैर-फ़ीचर फ़िल्म की 35 मिमी प्रिंट/डीसीपी (अनक्रिपटिड, डीसीआई कम्पलाईन्ट, -जे2के इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी—नोट: जे2के इनटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) या डीवी कैम खंड 7.2 (क) के अनुसार अपेक्षित प्रारूप में जमा कराई गई है।

(ii) यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि फ़िल्म किसी भी अन्य फ़िल्म का डब/संशोधित/पुनर्निर्मित/पुनः संपादित संस्करण नहीं है और इससे पहले कभी जमा नहीं कराया गया है।

(iii) फ़िल्म का निर्माण समारोह से पूर्ववर्त 12 महीनों की अवधि अर्थात् 1 सितंबर, 2016 से 31 जुलाई, 2017 के दौरान हुआ है तथा इस अवधि से पहले इसका किसी भी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में प्रदर्शन नहीं किया गया है।

(iv) फ़िल्म एक फ़ीचर या गैर-फ़ीचर फ़िल्म है (भारतीय पैनोरामा विनियम की धाराओं 6.4, 6.5 और 6.6 के अनुसार)

निर्माता के हस्ताक्षर
दिनांक
मुहर